# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| हुक्म | सरकार / गंगादेवी 57/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24/9/21 | आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सांगानेर द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 175 व 176 सपठित धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम मुहाना की जमाबन्दी सम्वत 2025 लगायत 2028 के अनुसार साबिका खसरा नम्बर 609 रकबा 18 बीघा 1 बिस्सा की खातेदारी हजारी पुत्र जीवा जाति खटिक के नाम दर्ज रिकार्ड थी हजारी पुत्र जीवा ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 03/02/1970 के द्वारा मोहरीलाल पुत्र रणजीता कौम मीणा को बैचान कर दिया, राजस्व भू-अभिलेखों में नामांतरण संख्या 90 दिनांक 25/03/1970 के द्वारा मोहरीलाल पुत्र रणजीता के नाम दर्ज रिकार्ड थी तत्तपश्चात भू-प्रबंध कार्यवाही में साबिका खसरा नम्बर 609 रकबा 18 बीघा 1 बिस्सा से हाल खसरा नम्बर 1168 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 1169 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1170 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1171 रकबा 1.25 हैक्टेयर, 1172 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1173 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 1174 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 1175 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1176 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 1177 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 1178 रकबा 0.88 हैक्टेयर, 1179 रकबा 0.60 हैक्टेयर, 1180 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 1181 रकबा 0.43 हैक्टेयर, 1183 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल रकबा 4.53 हैक्टेयर बने। उक्त खातेदार काश्तकार मोहरीलाल पुत्र रणजीता जाति मीणा साकिन मुहाना द्वारा जरिये विक्रय पत्र श्रीमती बिरमा देवी धर्मपत्नी मुनीम सिंह जाति मीणा के पक्ष में हाल खसरा नम्बर 1174,1175/1, 1176/1, 1177/1, 1178/1, 1179, 1180, 1181, 1183 कुल किता 9 रकबा 2.28 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.04 हैक्टेयर स्थित ग्राम मुहाना का बैचान करने पर नामान्तरण संख्या 114 दिनांक 04/07/1997 द्वारा बिरमा देवी के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा मोहरीलाल ने उक्त भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09/01/1998 को खसरा नम्बर 1168 लगायत 1178 कुल किता 10 कुल रकबा 2.25 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.04 हैक्टेयर के ½ हिस्से का बैचान बिरमा देवी धर्मपत्नी मुनीम सिंह मीणा के पक्ष में कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 158 दिनांक 25/06/1998 के द्वारा राजस्व भू-अभिलेखों खातेदारी दर्ज की गयी खातेदार काश्तकार श्रीमती बिरमा देवी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07/02/2013 को अप्रार्थी संख्या 17 श्रीमती गंगा देवी धर्मपत्नी श्री देवप्रकाश मीणा को खसरा नम्बर 1175/1, 1176, 1176/1, 1177, 1177/1, 1178 व 1178/1 कुल किता 8 कुल रकबा 1.55 हैक्टेयर का बैचान करने पर नामान्तरण संख्या 1364 दिनांक 08/02/2013 को अप्रार्थी 17 श्रीमती गंगा देवी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया एवं खातेदार काश्तकार गंगादेवी अन्य विक्रय पत्र दिनांक 07/02/2013 | |

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 57/2021 सरकार / गजानन्द<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |



देवप्रकाश मीणा को विवादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 1168 लगायत 1174 कुल किता 7 कुल रकबा 1.65 हैक्टेयर का पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 1365 दिनांक 08/02/2013 दर्ज किया जाकर अप्रार्थी संख्या 18 देवप्रकाश मीणा का नाम राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज किया गया तथा शेष भूमि उक्त खातेदार काश्तकार बिरमा देवी द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07/02/2013 अप्रार्थी संख्या 19 श्रीमती मनीषा धर्मपत्नी हरिप्रकाश मीणा को खसरा नम्बर 1179 लगायत 1183 कुल किता 4 कुल रकबा 1.33 हैक्टेयर का बैचान किया गया उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 1366 दिनांक 08/02/2013 राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज किया गया | प्रार्थना पत्र में आगे अंकित किया गया की पैरा नम्बर में वर्णित भूमि अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि है | अनुसूचित जाति वर्ग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को विधिविरुद्द राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(B) के प्रावधानों की अवेहलना की गयी है एवं विवादग्रस्त भूमि को अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा अन्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था इत्यादि को किसी प्रकार का विक्रय, दान, वसीयत अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है प्रार्थना पत्र के अन्त में वादग्रस्त आराजी को सिवायचक लगानी घोषित किये जाने की इस्तदुआ की गयी | इस पर अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 19 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी के दर्ज खातेदार काश्तकारों को विवादग्रस्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03/02/1970 को उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हजारी पुत्र जीवा खटिक ने मोहरीलाल पुत्र रणजीता मीणा को बैचान कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 17 लगायत 19 ने उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 16 से क्रय की है अर्थात उक्त भूमि को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा विक्रय करने पर अनुसूचित जनजाति के द्वारा ही क्रय किया गया है इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(B) की अवेहलना नही हुई है | राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जब प्रभाव में आया तब धारा 42 में किसी प्रकार के हस्तान्तरण पर कोई प्रतिबन्द नही था इसके पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में संशोधन किया जाकर धारा 4 अधिनियम संख्या 28 वर्ष 1956 जो की राजस्थान राजपत्र में 4(ए) एक्ट्रा ऑडनरी दिनांक 22/09/1956 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय सिड्यूल के आइटम संख्या 66 जो की धारा 175 के सन्दर्भ में था अवेध हस्तान्तरण की स्थिति में धारा 175 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने की समायावधि 3 वर्ष निर्धारित की गयी | इसके पश्चात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में दिनांक 01/05/1964 को संशोधन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सरकार / गजानन्द

| तारीख हुक्म | 57/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

जाकर अनुसूचित जाति के काश्तकार द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के काश्तकार द्वारा अनुसूचित जाति के काश्तकार के पक्ष में किये गये हस्तान्तरण को भी अवैद्द घोषित किया गया है | और इसके साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट में दिनांक 23/04/1971 को संशोधन कर राज्य सरकार द्वारा दावा प्रस्तुत करने की अवधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 12 वर्ष तथा उसके पश्चात पुनः दिनांक 04/09/1981 को संशोधन कर आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि 12 वर्ष से बढ़ा कर 30 वर्ष कर दी गयी जो की वर्तमान में यथावत है | विवादग्रस्त भूमि दिनांक 03/02/1970 को हजारी पुत्र जीवा खटिक द्वारा मोहरीलाल पुत्र रणजीता मीणा को हस्तान्तरित की गयी | राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के आर्टम संख्या 23 के तहत दावा प्रस्तुत करने की समयावधि 12 वर्ष निर्धारित थी परन्तु निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया इसी प्रकार हजारी पुत्र जीवा खटिक द्वारा क्रेता मोहरीलाल के विरुद्द बेदखली का वाद प्रस्तुत करने की 12 वर्ष की समयावधि व्यतीत होने के साथ ही समाप्त हो गयी | दिनांक 03/02/1970 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राज्य सरकार भू उक्त हस्तान्तरण को अवैद्द होना मानते हुये क्रेता व विक्रेता दोनों को उक्त भूमि से बेदखल करने हेतु धारा 175 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर सकती थी परन्तु उसके लिए समयावधि केवल 3 वर्ष ही कायम थी चूँकि धारा 175 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के आर्टम संख्या 66 में दिनांक 23/04/1971 को संशोधन किया जाकर आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 12 वर्ष की गयी और उक्त समयावधि के शेष रहते दिनांक 04/09/1981 को समयावधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 12 वर्ष कर दिए जाने के आधार पर भी दिनांक 03/02/1970 से 12 वर्ष की समयावधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक 03/02/1982 को राज्य सरकार के लिए भी समयावधि समाप्त हो गयी | माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की फुल बैच ने 1984 RRD पेज नम्बर 821 में अपने निर्णय में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है की अवेध हस्तांतरण की स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि दस्तावेज के पंजीकृत के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है इस प्रकार राज्य सरकार के लिये धारा 175 के तहत कार्यवाही करने के समयावधि 12 वर्ष ही समयावधि के साथ ही समाप्त हो गयी | इस संबध में माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक द्रष्टान्त 1973 RRD पेज संख्या 622, 1981 RRD पेज संख्या 624, 1982 RRD पेज नम्बर 63, 1987 RRD पेज नम्बर 519 तथा 1988 RRD पेज नम्बर 577 एवं RRD 2015 के अनुसार मियाद की गणना प्रारम्भ होने के पश्चात मियाद समाप्त होने के पश्चात यदि मियाद की समयावधि संशोधन के माध्यम से बढ़ा दी जावे तो भी समाप्त हो चुकी समयावधि को बढ़ा हुआ नही माना जा सकता है इस सन्दर्भ में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 57/2021 सरकार / गजानन्द<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

4

माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने 2006(1) RRT पेज नम्बर 383 एवं 2014 SSC पेज नम्बर 282 रामकरण बनाम सरकार के अपने निर्णय में यह स्पष्ट व्यवस्था दी है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 23/04/1971 को मियाद की समयावधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 12 वर्ष तथा दिनांक 04/09/1981 को मियाद की समयावधि 12 वर्ष से बढ़ा कर 30 वर्ष कर दिए जाने की भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की जो मियाद समाप्त हो गयी है उसे अधिनियम में संशोधन करने की स्थिति में भी बढाया नही जा सकता | वादग्रस्त भूमि सन 1970 में अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय होना जाहिर किया है किन्तु वादी की और से उक्त मियाद अवधि में प्रस्तुत नही किया गया है | संशोधन अवधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 30 वर्ष किये जाने पर भी उक्त अवेध हस्तान्तरण जो की दिंनाक 03/02/1970 को प्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया है की उक्त मियाद संशोधन अवधि 30 वर्ष जो की 03/02/2000 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधि थी उक्त अवधि में वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया अर्थात उक्त समयावधि में उक्त वाद प्रस्तुत नही करने के कारण उक्त वाद स्वत: ही मियाद बाहर होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है | प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को विधि द्वारा वर्जित होने से ख़ारिज किये जाने की इस्तदुआ की गयी तत्तपश्चात प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को उपस्थित नही होने पर एवं उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब प्रस्तुत नही किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सांगानेर को नोटिस जारी किये गये एवं पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत नही किये जाने एवं उपस्थित नही आने पर अग्रिम कार्यवाही कार्यवाही हेतु लिखा किन्तु प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर के उपस्थित नही होने एवं जवाब प्रस्तुत नही करने पर अप्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01/02/2017 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद क़ानूनी बिन्दुओ को मध्य नजर रखते हुए ख़ारिज कर दिया गया | जिंसके विरुद्द अपीलार्थी तहसीलदार द्वारा यह अपील दिनांक 23/12/2020 को दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकार समायत की गयी | बहस प्रारंभ होने के साथ ही अभिभाषक रेस्पो. की और से यह आपत्ति दर्ज कराई गयी कि विचाराधीन अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01/02/2017 के विरुद्द इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 23/12/2020 को प्रस्तुत की गयी है जो अतिविलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, अत: सर्वप्रथम प्रकरण में मियाद की बिन्दु पर सुनवाई की जावे | अत: दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद पर समायत की गयी |

4/1/22
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सरकार | गजानन्द

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 57/2021 | 5 | |

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय वादी की अनुपस्थिति में की गयी है, जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी को समय रहते निर्णय जैर अपील का ज्ञान नही रह सका | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी होने पर अपीलार्थी द्वारा एक पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर को प्रेषित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा पारित निर्णय के सन्दर्भ में मार्गदर्शन चाहा गया | जिस पर श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा जारी पत्र दिनांक 23/07/2020 के द्वारा तहसीलदार सांगानेर को अपील पेश करने के निर्देश दिये गये | जिस पर अपीलान्ट ने राजकीय अधिवक्ता को उक्त सन्दर्भ में दिनांक 12/10/2020 को पत्र जारी उक्त प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया | जिस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपीलान्ट तहसीलदार सांगानेर को दिनांक 12/10/2020 को यह रॉय दी की आलौच्य निर्णय दिनांक 01/02/2017 को पारित किया गया है एवं प्रकरण में कुल 19 रेस्पोडेन्ट्स है यदि इनमे से किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसान को मृतक के स्थान पर पक्षकार समायोजित किया जाना आवश्यक है अन्यथा मृतक पक्षकार के विरुद्द अपील अबेट हो जाती है इसलिये रेस्पोडेन्ट्स पक्षकारान के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जावे ताकी अपील पेश की जा सके | अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा इस सन्दर्भ में कोई जाँच पड़ताल नही की गयी एवं न ही निर्णय जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि ही उपलब्ध करवाई गयी मात्र फोटोप्रतियाँ उपलब्ध कराई गयी | अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने बहस में आगे यह भी निवेदन किया की तहसीलदार को यह भी अवगत करा दिया था कि आदेश जैर अपील के विरुद्द अपील प्रस्तुत करने की मियाद मात्र 60 दिन ही होती है, अत: विलम्ब के कारण अपील मिमो एवं प्रार्थना पत्र दफा-5 परिसिमन अधिनियम के साथ प्रस्तुत की जा सकेगी, जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा एक ही जवाब दिया गया कि प्रशासन/राजकार्यो में व्यस्त होने के कारण यह विलम्ब हुआ है, जिससे विलम्ब में छुट का अनुतोष लिया जावे | अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने बहस में आगे यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी/अपीलार्थी को समय में होना सम्भव नही था | अत: अपील प्रस्तुत किये जाने में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये मूल अपील की गुणावगुण पर सुनवाई की जावे | अभिभाषक प्रार्थी ने 2021(1)CCC पेज न. 0001, 2021(1) एपेक्स कोर्ट J पेज न. 0026, 2020(1) current Jugments - civil Rajasthan 0457,

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 57/2021 सरकार / गजानन्द<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

6

2019(4) CCC पेज न. 0714 एवं 2014-15 (SUPP.) RRT पेज न. 530 उद्दरित की।

अभिभाषक अप्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद मौजूदा अपीलान्ट्स के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था, वाद प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलान्ट्स ने वाद की अग्रिम कार्यवाही में कोई रूचि नही ली जबकी वाद प्रस्तुतकर्ता तहसीलदार सांगानेर की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लम्बित वाद के सन्दर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र भी लिखे गये किन्तु उनके द्वारा कोई रूचि नही दर्शाई गयी | अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पो, ने हमारा ध्यान अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि यदि कोई प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया जाता है तो उसके विरुद्द विलम्ब से अपील प्रस्तुत किये जाने वाले अपीलार्थी को दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया जाना आवश्यक होता है कि उसे निर्णय जैर अपील की जानकारी किस माध्यम से हुई एवं किस दिनांक को हुई किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद में यह तथ्य कही अंकित नही किया है जिससे अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद इस सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र की परिभाषा में ही नही आता है | इसके अतिरिक्त अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रस्तुत दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र में अंकित अन्य तथ्यों की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में पुन: निवेदन किया कि किसी भी निर्णय को अपील के माध्यम से चुनौती दिये जाने हेतु अपील के साथ चुनौतीअधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ऐसा नही करने से प्रस्तुत अपील, अपील की परिभाषा में ही नही आती है एवं संधारणीय नही होने से ख़ारिज किये जाने योग्य है | अत: अपील अपीलार्थी निर्णय जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में प्रस्तुत किये जाने से एवं विलम्ब के सन्दर्भ में कोई उचीत कारण प्रस्तुत नही किये जाने से ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुतकर्ता तहसीलदार सांगानेर थे जो वाद प्रस्तुत करने के पश्चात निरन्तर अनुपस्थित रहे | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में लचीला रुख अपनाते हुये सम्बन्धित वादी तहसीलदार सांगानेर को प्रकरण में उपस्थित होने हेतु पत्र भी लिखे गये किन्तु इसके उपरान्त भी उनके द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई अग्रिम चाराजोही नही की गयी, जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 57/2021 सरकार / गजानन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 7 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

वादी की लम्बित प्रकरण में स्पष्ट रूप से उदासिनता रही है | इसके अतिरिक्त जैसाकी अभिभाषक अप्रार्थी ने दफा-5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये निवेदन किया कि दफा-5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र का आधार विलम्ब के सन्दर्भ में जानकारी का जरिया एवं जानकारी की दिनांक का अंकन होना आवश्यक होता है किन्तु प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद में इन मूल बिन्दुओ का अभाव है जिससे प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद के सन्दर्भ में विलम्ब का प्रार्थी किस प्रकार लाभ प्राप्त करना चाहता है, सिद्द नही होता है | सन्दर्भित दफा-5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से यह भी स्पष्ट है की राजकीय अभिभाषक द्वारा तहसीलदार सांगानेर को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील में प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध करवाने को कहा गया था किन्तु सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा इसमें कोई रूचि नही लेकर मात्र फोटोप्रति निर्णय जैर अपील की उपलब्ध करवायी गयी है एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा उसी फोटोप्रति के साथ अपील प्रस्तुत कर दी गयी जबकी यह आवश्यक प्रावधान है कि अपील प्रस्तुतीकरण में निर्णय जैर अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील का एक आवश्यक भाग है जिसके अभाव में अपील संधारणीय ही नही रहती |

अत: उपरोक्त समस्त विस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय जैर अपील की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही किये जाने से संधारणीय ही नही रहती एवं अपील के साथ प्रस्तुत दफा-5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र उक्त वर्णित जानकारी के अभाव में प्रार्थना पत्र की परिभाषा में ही नही रहता है | अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तक़मील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 24/09/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर